अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,

फोन : 07752–220031, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 168 /अका./2021 बिलासपुर दिनाक 15/02/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

विषयः—सत्र 2021—22 के लिये सम्बद्धता के संबंध में।

——

विदित हो कि परिनियम—27 की कंडिका—01 पैरा—02 के प्रावधानानुसार प्रत्येक सत्र के 30 जून तक शासकीय महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय द्वारा संचालित विषय/पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन/अधूरे विषय/संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालन के साथ सम्बद्धता नवीनीकरण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि आपके महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021—22 में पूर्व से संचालित विषय/पाठ्यक्रम के लिये वार्षिक सम्बद्धता नवीनकरण के साथ ही कोई अतिरिक्त नवीन विषय/संकाय एवं छात्र संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव हो तो इस संबंध में शासन से आदेश/अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ <u>संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन</u> 30 जून 2021 तक वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजो को संबद्धता) विनियम—2009 में दिये गये उपबंधों को पूर्ण करते हुये, आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट करना है कि शासकीय महाविद्यालय हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिये 30 जून की तिथि निर्धारित है। तथापि सम्बद्धता की प्रक्रिया एक निश्चित समय में पूर्ण हो सके और विषय की सम्बद्धता हेतु अनुमति मिलने की स्थिति में छात्र/छात्रा समय से प्रवेश प्राप्त कर सके। इसे दृष्टिगत रखते हुये यदि महाविद्यालय 30 जून से पूर्व विषयों की अनुमति शासन से प्राप्त कर सम्बद्धता हेतु आवेदन विश्वविद्यालयं में प्रस्तुत करता है तो सुगमता होगी।

वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजो को संबद्धता) विनियम—2009 की प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वेबसाईटः **WWW.UGC.ac.in** से प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय का यह भी दायित्व होगा कि सत्र 2021—22 में पूर्व संचालित विषयों का नवीनीकरण शुल्क 31 जुलाई 2021 तक एवं नवीन विषयों के लिये निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की राशि 30 जून 2021 तक विश्वविद्यालय कोष में जमा कर, जमा रसीद/पावती की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

कृपया इसे सर्व प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार,
15.2.21
कुलसचिव
बिलासपुर, दिनांक 15/2/2021

कमाक 169 /अका/2021

प्रतिलिपिः—

1/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,क्षेत्रीय कार्यालय, शास.ई.आर.आर.विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,बिलासपुर की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिये सर्व संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यक निर्देश देनें का कष्ट करें।

15.2.21
कुलसचिव.

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 170 /अका./2021 बिलासपुर दिनांक 15.02.2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर(छ.ग.)

विषयः—सत्र 2021—22 के लिये सम्बद्धता के संबंध में।

—

विदित हो कि परिनियम—27 की कंडिका—01(डी) के प्रावधानानुसार प्रत्येक सत्र के 28 फरवरी तक अशासकीय महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय द्वारा संचालित विषय/पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन/अधूरे विषय/संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालन के साथ सम्बद्धता नवीनीकरण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि आपके महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021—22 में पूर्व से संचालित विषय/पाठ्यक्रम के लिये वार्षिक सम्बद्धता नवीनकरण के साथ ही कोई अतिरिक्त नवीन विषय/संकाय एवं छात्र संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव हो तो इस संबंध में शासन से आदेश/अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 28 फरवरी 2021 तक वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजो को संबद्धता) विनियम—2009 में दिये गये उपबंधों को पूर्ण करते हुये, आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजो को संबद्धता) विनियम—2009 की प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वेबसाईटः **www.ugc.ac.in** से प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालय का यह भी दायित्व होगा कि सत्र 2021—22 में पूर्व संचालित विषयों का नवीनीकरण शुल्क 31 जुलाई 2021 एवं नवीन विषयों के लिये निर्धारित सम्बद्धता शुल्क की राशि 28 फरवरी 2021 तक विश्वविद्यालय कोष में अनिवार्यतः जमा कर, जमा रसीद/पावती की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

कृपया इसे सर्व प्राथमिकता प्रदान करें।

आदेशानुसार,

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

15.2.21
कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 15.02.2021

क्रमांक 171 /अका/2021

प्रतिलिपिः—

1/ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय, शास.ई.आर.आर.विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,बिलासपुर की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिये सर्व संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यक निर्देश देनें का कष्ट करें।

15.2.21
कुलसचिव